

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/एनिकट निर्माण-3/2020-21/15039-49

दिनांक : 15/06/2021

राशि हस्तांतरण आदेश

विषय : एनिकट निर्माण कार्य कुराबड ग्रा.पं. बेमला पं.सं. कुराबड की राशि के कम में।

प्रसंग : उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर का पत्रांक 2012 दिनांक 25.03.2021 के क्रम में।

विभागीय पत्रांक 6541-51 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निम्नानुसार एनिकट निर्माण कार्य कुराबड की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई - (राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	प्रथम किश्त देय राशि
1	एनिकट निर्माण कार्य कुराबड ग्रा.पं. बेमला पं.सं. कुराबड	81.62	65.30

प्रासंगिक पत्र अनुसार उपरोक्त कार्य की राशि रु. 81.62 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त 65.30 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को विशेष केन्द्रीय मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-2/2020-21 में प्राप्त राशि में से देय होगी। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)IAS
आयुक्त

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/एनिकट निर्माण-3/2020-21/15039-49 दिनांक : 15/06/2021

प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमित निरीक्षण करें।
6. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड उदयपुर को भेजकर लेख है कि एनिकट निर्माण कार्य कुराबड का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, मोनटरिंग कार्यालय हाजा।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि राशि रु. 81.62 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त 65.30 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को विशेष केन्द्रीय मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-2/2020-21 में प्राप्त राशि 400.00 लाख में से हस्तांतरित करें।
9. उप निदेशक (कम्प्यूटर), कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721

ई-मेल : comm.tad rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in